तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]·25	पत्रावली पेश हुई।	

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि मौजा फूलण के खसरा संख्या 294/191 रकबा 15.00 बीघा प्रार्थीगण की. मालिकाना व स्वामित्व की भूमि है। विवादित भूमि का मूल खसरा संख्या 181 था जिसका विभाजन किये जाने पर खसरा संख्या 181/21 व 181/22 बना राजस्व रेकर्ड के परिवर्तन किये जाने से प्रार्थीगण के कब्जा काश्त वाला खसरा, खसरा संख्या 294/181 राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया ,तत्पश्चात राजस्व गांव फूलण का पुनः सर्वे किया गया तथा मूल खसरा संख्या 165 की तरमीम किया गया, राजस्व कर्मचारियो की गलती व भूलवंश प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि की गलत तरमीम होने के कारण खसरा संख्या 165/14 को प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्तसुदा दर्शाया गया। खसरा संख्या 165/2 की किस्म गै.मु. पहाड है प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में कोई पहाड.आया हुआ नहीं है राजस्व नक्शे में जिस स्थान पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त दर्शाया गया है उक्त स्थान पर प्रार्थीगण की कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है।

प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व राजस्व रेकर्ड में का नक्शा में भिन्नता है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 294/ 181 की तरमीम प्रार्थना पत्र के संलग्न माफिक परिशिष्ठ "अ" अनुसार दुरूस्त किया जाने के आदेश फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गंभीरता से अवलोकन एवं मनन किया। तहसीलदार समदडी ने मौका रिपोर्ट में कथन किया है कि वर्तमान कब्जानुसार प्रार्थीगण का खसरा संख्या 294/181 में 0.2428 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा है तथा शेष रकबा 2.1865 हैक्टेयर का कब्जा मूल खसरा संख्या 165 (वर्तमान खसरा संख्या 656/644) में स्थित है। उक्त खसरो के पास मूल खसरा संख्या 181 (वर्तमान खसरा संख्या 714/669) की भूमि सरकारी खाते की भूमि मे अधिकतर भाग पर पहाड स्थित है तहसीलदार समदडी के रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को मूल खसरा संख्या 181 से भूमि आंवटन हुई थी परन्तु प्रार्थीगण का कब्जा काश्त मूल खसरा संख्या 165 में [illegible] राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि की तरमीम में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार स[illegible] द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:36:45 IST
Reason: SelfAttested